राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

छीतर बनाम रामलाल

963/2025

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23/12/2025	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 06/01/2026 को पेश हो।	
06/01/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। संक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत उद्घोषणा, दुरुस्ती इन्द्राज, विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा इस आशय का पेश किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 की पैतृक कृषि भूमि खसरा नम्बर 169/152 रकबा 3.0348 हैक्टेयर ग्राम सांखश्योपुरी, पटवार हल्का सिन्दोली, भू.अभि.नि.क्षेत्र फाल्यावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर राजस्थान में स्थित चली आ रही है, जिसकी खातेदारी वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में रामलाल पुत्र गणेश हिस्सा 2/3, रामलाल पुत्र मोहन हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड है। वादग्रस्त आराजी वर्तमान खसरा नम्बर 169/152 रकबा 3.0348 हैक्टेयर के साबिक खसरा नम्बर 152 मिन रकबा 16 बीघा थे साबिक खसरा नम्बर उपरोक्त को वादी के दादा मोहन पुत्र गंगाराम एवं परनाना गणेश पुत्र धन्ना ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 27.08.1973 को संयुक्त रूप से क्रय की थी तथा मोहन पुत्र गंगाराम एवं गणेश पुत्र धन्ना काबिज काश्त होकर उपयोग-उपभोग करते चले आ रहे थे तथा मोहन पुत्र गंगाराम वादी का दादा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का पिता है तथा गणेश पुत्र धन्ना वादी का परनाना एवं प्रतिवादी संख्या 1 का नाना है तथा गणेश पुत्र धन्ना के केवल मात्र एक पुत्री वादी की दादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 की माँ थी, कोई पुत्र सन्तान नहीं था तथा गणेश पुत्र धन्ना पूर्व में वादी के दादा-दादी के पास रहता था तथा वादी के दादा-दादी एवं पिता ने ही दाह संस्कार, गंगा स्नान, पिण्ड दान, क्रियाक्रम एवं आरामोसर किया था। इसलिए गणेश पुत्र धन्ना की विरासत का नामान्तकरण भी प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल के नाम तस्दीक होकर राजस्द रिकॉर्ड जमाबन्दी में दर्ज हुआ है तथा रामलाल पुत्र गणेश एवं रामलाल पुत्र मोहन एक ही व्यक्ति है जबकि रामलाल मोहन का पुत्र है गणेश का जायन्दा पुत्र नहीं है। गणेश रामलाल का नाना था। इससे स्पष्ट है कि वादी रामलाल का पुत्र है तथा गणेश का दोहिता है तथा उक्त वादग्रस्त भूमि रामलाल पुत्र मोहन की स्वअर्जित सम्पत्ति नहीं है, बल्कि पैतृक सम्पत्ति है तथा रामलाल पुत्र गणेश एवं रामलाल पुत्र मोहन एक ही व्यक्ति है तथा वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण पैतृक सम्पत्ति होने के कारण वादी को कानूनन जन्म लेते ही अधिकार प्राप्त हो गए थे। इसलिए वादी कानूनन उपरोक्त वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण के हिस्सा 1/7 का कानूनन खातेदार एवं काबिज काश्तकार हो गया तथा आज भी वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण के हिस्सा 1/7 की भूमि पर काबिज होकर काश्त करता चला आ	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	छीतर बनाम रामलाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर अहकाम हुक्म की त. में जारी हुए

रहा है तथा रामलाल पुत्र मोहन एवं रामलाल पुत्र गणेश एक ही नाम के व्यक्ति होने एवं वादग्रस्त आराजी का पैतृक भूमि होने के कारण रामलाल पुत्र मोहन एवं रामलाल पुत्र गणेश को रहन, वय, विक्रय, बक्शीश करने का कोई हक व अधिकार नहीं है, क्योंकि वादग्रस्त आराजी का पैतृक भूमि होने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल का कानूनन 1/7 हिस्सा ही बनता है तथा उसे सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का कोई कानूनी हक व अधिकार नहीं है तथा वादग्रस्त भूमि का कानूनी विधिवत तकासमा भी नहीं हुआ है। इसलिए भी प्रतिवादी संख्या 1 रामलाल को वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण को रहन, वय, विक्रय बक्शीश करने का अधिकार नहीं है। वाद बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादी संख्या 1 इस आशय की उद्घोषणा की डिक्री जारी करवाने का हक व अधिकारी है कि ग्राम सांखश्योपुरी पटवार हल्का सिन्दोली भू-अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र फाल्यावास तहसील बस्सी जिला जयपुर राजस्थान में स्थित वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 169/152 रकबा 3.0348 हैक्टेयर सम्पूर्ण वादग्रस्त भूमि वादी के दादा मोहन व परनाना गणेश से विरासत में प्राप्त हुई है, जिसे पैतृक सम्पति घोषित किया जाकर वादी को वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण के हिस्सा 1/7 का काबिज व खातेदार काश्तकार घोषित किया जावें तथा इसी अनुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी में वादी के हक में हिस्सा 1/7 एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के हक में 6/7 का इन्द्राज किया जाकर दुरूस्ती करने के तहसीलदार बस्सी को निर्देश प्रदान करें। विभाजन की डिक्री इस आशय की पारित की जावें कि वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण के हिस्सा 1/7 का वादी के हक में एवं हिस्सा 6/7 का प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 के हक में यथासंभव कब्जेकाश्त, सरस-रस (बाई मिन्टस् एण्ड बाउन्डस), आने-जाने के रास्ते एवं सिंचाई के साधन को मध्यनजर रखते हुए विभाजन किया जावें एवं विभाजन उपरान्त खाता व लगान पृथक-पृथक कायम करने के तहसीलदार बस्सी को निर्देश प्रदान करने तथा दौराने दावा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 6 को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वादग्रस्त आराजी सम्पूर्ण से वादी को बेदखल नहीं करें, वादी के उपयोग उपभोग, फसल काश्त में मदाखलत मजामहत नहीं करें, वादग्रस्त आराजी का दिगर व्यक्तियों को रहन, वय, विक्रय, बक्शीश नहीं करें, रिकॉर्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने के लिए पाबन्द किया जाने का अनुतोष चाहा गया।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये | तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय दिनांक 24/04/2025 पारित करते हुये वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 169/152 रकबा 3.0348 हैक्टेयर ग्राम सांखश्योपुरी, पटवार हल्का सिन्दोली, भू. अभि. नि. क्षेत्र फाल्यावास, तहसील बस्सी, जिला जयपुर में से वादी को अपने पिता रामलाल पुत्र

(257)

तारीख

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

छीतर बनाम रामलाल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	मोहन के हिस्सा 1/3 मे से दर हिस्सा 1/7 का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के आदेश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुई। जिसमे अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।	
	अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तहत पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूतों को समुचित परिक्षण/विवेचन करते हुये सही रूप से अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित किये गये है, जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नही होती एवं अपीलार्थी द्वारा अपील के माध्यम से एवं दौराने बहस जाहिर किये गये तर्क स्वीकार योग्य प्रतीत नही होते है। अत: अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 24/04/2025 विधिसम्मत जाहिर होने से यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी ख़ारिज की जाती है।	
	पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो।	
	निर्णय आज दिनांक 06/01/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।	